राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 28/06/2022 को संपन्न 412वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 412वीं बैठक दिनांक 28/06/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. धन्द्रायर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 410वीं एवं 411वीं बैठक दिनांक 16/06/2022 एवं 17/06/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 410वीं एवं 411वीं बैठक दिनांक 16/06/2022 एवं 17/06/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स श्री जनकुमार सोनझरी, ग्राम–बुढ़ियापाली, तहसील–करतला, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1839)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 242222/2021, दिनांक 04/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 14/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी दिनांक 03/03/2022 को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित क्वॉर्ट्ज (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बुढ़ियापाली, तहसील–करतला, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 156, कुल क्षेत्रफल–3.605 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–37,800.02 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 412वीं बैठक दिनांक 28/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिशुपाल सिंह राजपूत, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बुढ़ियापाली का दिनांक 22/03/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉंग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनि. प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 3547/माईनिंग–2/क्यू.पी./एफ.नं.73/2015 नया रायपुर, दिनांक 17/07/2018 द्वारा अनुमोदित है। तत्पश्चात् संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5332/खनि–2/क्वार्टज/कोरबा/न.क्र.73/2015 नया रायपुर, दिनांक 13/10/2021 द्वारा "जिला कोरबा, तहसील करतला के ग्राम बुढ़ियापाली स्थित खसरा नम्बर 156 के रकबा 3.605 हेक्टेयर (8.909 एकड़) क्षेत्र पर खनिज क्वार्ट्ज का दिनांक 17/07/2018 को अनुमोदित उत्खनन योजना में संशोधन की आवश्यकता नहीं है" तथा उपरोक्त जारी पत्र (दिनांक 17/07/2018) में आंशिक संशोधन करते हुये पत्र जारी किया गया है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 5144/खनि–2/क्वा./न.क्र./2007 कोरबा,

दिनांक 10/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 5143/खनि–2/क्वा./न.क./2007 कोरबा, दिनांक 10/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रोड, पुल, रेललाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, दार्शनिक स्थल एवं प्राकृतिक संरचानाए जैसे नदी, नाला, इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में राज्य शासन के आदेश दिनांक 15/02/2010 द्वारा आवेदित क्षेत्र के लिए क्वार्टज (मुख्य खनिज), खसरा क्रमांक 156, क्षेत्रफल 3.605 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 157, क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेयर, कुल क्षेत्रफल 4.414 हेक्टेयर क्षेत्र पर 1 वर्ष की अवधि हेतु एल.ओ.आई. जारी की गई थी। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में संशोधन के तहत् क्वार्टज को भी गौण खनिज की श्रेणी में शामिल किया गया। गौण खनिज घोषित करने के उपरांत पुनः आशय पत्र जारी किया जाना बताया गया।

7. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक/एफ 3–3/2011/12 रायपुर, दिनांक 06/03/2017 द्वारा जारी की प्रस्तुत गई थी, जिसके अनुसार लीज क्षेत्र बड़े झाड़ का जंगल है। तत्पश्चात् संशोधित एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक/एफ 3–3/2011/12 नवा रायपुर, दिनांक 08/09/2021 द्वारा "जिला–कोरबा, तहसील–करतला, ग्राम–बुढ़ियापाली के खसरा नंबर 156 के रकबा 3.605 हेक्टेयर क्षेत्र के संबंध में संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/भारतीय खान ब्यरो से उपरोक्तानुसार संशोधित उत्खनन योजना एवं पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य हेतु आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर इस विभाग को प्रस्तुत करें।" का उल्लेख है। साथ ही उक्त पत्र में लीज क्षेत्र घास भूमि होने का भी उल्लेख है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अ./480 कोरबा, दिनांक 22/01/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 500 मीटर की दूरी पर है एवं आवेदित भूमि के भीतर 4 नग फलदार वृक्ष तथा 1 नग इमारती वृक्ष जीवित है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बुढ़ियापाली 320 मीटर एवं अस्पताल सोहागपुर 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 8.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,15,240 टन, माईनेबल रिजर्व 4,03,500 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 3,83,300 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,985 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30.9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 7,020.93 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	35,100.04	षष्टम	40,100.03
द्वितीय	35,200.05	सप्तम	40,200.04
तृतीय	35,300.06	अष्टम	40,300.06
चर्तुथ	35,400.07	नवम	40,400.07
पंचम	35,500	दशम	40,500

13. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत क्वारी प्लान में लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,985 वर्गमीटर उल्लेखित है, जो कि खदान के कुल क्षेत्रफल 3.605 हेक्टेयर के अनुसार उचित प्रतीत नहीं होता है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण सहित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **जल आपूर्ति** – जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 450 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् वृक्षारोपण हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. समिति का मत है कि प्रस्तावित लीज के परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने अथवा नहीं? के संबंध में विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन

संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सड़क के तरफ 7.5 मीटर क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (affidavit) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. आवेदित लीज क्षेत्र के भीतर 5 नग वृक्ष है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवश्यकतानुसार उक्त वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही की जाएगी। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. सड़क के तरफ 7.5 मीटर क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

2. आवेदित लीज क्षेत्र के भीतर 5 नग वृक्ष है। आवश्यकतानुसार उक्त वृक्षों की कटाई हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही की जाएगी। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन (Top Soil Management) की उपयुक्त व्यवस्था संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,985 वर्गमीटर उल्लेखित है, जो कि खदान के कुल क्षेत्रफल 3.605 हेक्टेयर के अनुसार उचित प्रतीत नहीं होता है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण सहित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

5. गारलेण्ड ड्रेन हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

7. प्रस्तावित लीज के परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने अथवा नहीं? के संबंध में विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

8. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् 800 नग पौधों के वृक्षारोपण हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स बजावण्ड सेण्ड क्वारी (के–2) (प्रो.– श्रीमती कुसुमलता साहू), ग्राम–बजावण्ड, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1958)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 257839/2022, दिनांक 04/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बजावण्ड, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 194, कुल क्षेत्रफल–0.88 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन भसकली नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–17,600 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 412वीं बैठक दिनांक 28/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ओंकार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बजावण्ड का दिनांक 26/11/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 950/खनिज/उ.यो./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 09/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 303–बी/खनिज/ख.लि.3/रेत खदान/2022 जगदलपुर, दिनांक 25/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.12 हेक्टेयर है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 303–बी/खनिज/ख.लि.3/रेत खदान/2022 जगदलपुर, दिनांक 25/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्रीमती कुसुमलता साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक

3036/खनिज/ख.लि.3/रिवर्स ऑक्शन (रेत)/2022 जगदलपुर, दिनांक 14/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बजावण्ड 1.26 कि. मी., एवं स्कूल ग्राम–बजावण्ड 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10.63 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 38 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 150 मीटर, न्यूनतम 118 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 386 मीटर खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 23 मीटर, न्यूनतम 21 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 25 मीटर, न्यूनतम 16 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 17,600 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 1 गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुत पंचनामा में रेत की गहराई 2 मीटर बताया गया है। उक्त से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई कितनी है? अतः रेत की वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर पंचनामा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 10/02/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स बजावण्ड सेण्ड क्वारी (के–1) एवं मेसर्स बजावण्ड सेण्ड क्वारी (के–2) का समिति के समक्ष सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् पवित्र वन निर्माण हेतु संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् सी.ई.आर. राशि का व्यक्तिगत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detial Project Report) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **वृक्षारोपण कार्य** – वृक्षारोपण (नदी तट पर कुल 60 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,200 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 18,000 रूपये, खाद के लिए राशि 450 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 2,04,960 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,24,610 रूपये एवं आगामी 2 वर्ष हेतु कुल राशि 3,68,552 रूपये घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही समिति का मत है कि नदी के पाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ़ की अधिकतम सीमा (Maximum Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे (River Bank) वृक्षारोपण किया जाए।

18. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अतः उक्त के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी (पंचनामा सहित) प्रस्तुत किया जाए।
4. उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश खनिज विभाग से प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई की जानकारी (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) प्रस्तुत की जाए।
6. मेसर्स बजावण्ड सेण्ड क्वारी (के–1) एवं मेसर्स बजावण्ड सेण्ड क्वारी (के–2) का समिति के समक्ष सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् पवित्र वन निर्माण हेतु संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् सी.ई.आर.

राशि का व्यक्तिगत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detial Project Report) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स बजावण्ड सेण्ड क्वारी (के–1) (प्रो.– श्रीमती कुसुमलता साहू), ग्राम–बजावण्ड, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1959)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/257692/2022, दिनांक 04/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बजावण्ड, तहसील–बकावण्ड, जिला–बस्तर, स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक – 194, कुल क्षेत्रफल–1.12 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन भसकली नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 22,400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 412वीं बैठक दिनांक 28/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ओंकार सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बजावण्ड का दिनांक 26/11/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 949/खनिज/उ.यो./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 09/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 305–डी/खनिज/ख.लि.3/रेत खदान/2022 जगदलपुर, दिनांक 25/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 0.88 हेक्टेयर है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 305–बी/खनिज/ख.

लि.3/रेत खदान/2022 जगदलपुर, दिनांक 25/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्रीमती कुसुमलता साहू के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 3036/खनिज/ख.लि.3/रिवर्स ऑक्शन(रेत)/2021 जगदलपुर, दिनांक 14/09/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बजावण्ड 1.26 कि.मी., एवं स्कूल ग्राम–बजावण्ड 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10.63 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 38 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 165 मीटर, न्यूनतम 140 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 252 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 55 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 70 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर है।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 22,400 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

14. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुत पंचनामा में रेत की गहराई 2 मीटर बताया गया है। उक्त से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई कितनी है?

अतः रेत की वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर पंचनामा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 10/02/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स बजावण्ड सेण्ड क्वारी (के–1) एवं मेसर्स बजावण्ड सेण्ड क्वारी (के–2) का समिति के समक्ष सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् पवित्र वन निर्माण हेतु संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् सी.ई.आर. राशि का व्यक्तिगत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detail Project Report) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **वृक्षारोपण कार्य** – वृक्षारोपण (नदी तट पर कुल 50 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 16,000 रूपये, खाद के लिए राशि 375 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 2,04,800 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,22,175 रूपये एवं आगामी 2 वर्ष हेतु कुल राशि 3,68,436 रूपये घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही समिति का मत है कि नदी के पाट में वृक्षारोपण किये जाने की दशा में बाढ की अधिकतम सीमा (Maximum Flood level) को ध्यान में रखते हुये नदी के किनारे (River Bank) वृक्षारोपण किया जाए।

18. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। अतः उक्त के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बैड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी (पंचनामा सहित) प्रस्तुत किया जाए।
4. उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश खनिज विभाग से प्राप्त कर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

5. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई की जानकारी (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) प्रस्तुत की जाए।

6. मेसर्स बजावण्ड सेण्ड क्वारी (के–1) एवं मेसर्स बजावण्ड सेण्ड क्वारी (के–2) का समिति के समक्ष सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् पवित्र वन निर्माण हेतु संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् सी.ई.आर. राशि का व्यक्तिगत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detail Project Report) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स एमएसएम एण्ड एसएनडीबी इस्पात एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–नकटी खपरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1963)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी आईएनडी/ 73503 / 2022, दिनांक 11 / 03 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–नकटी खपरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित क्षेत्रफल – 11.45 हेक्टेयर (क्षेत्रफल – 7.297 हेक्टेयर सीएसआईडीसी से प्राप्त भूमि पटवारी हल्का क्रमांक 12 एवं क्षेत्रफल – 4.157 हेक्टेयर निजी भूमि, खसरा क्रमांक – 79 / 3, 79 / 7, 88 / 1 एवं 314 / 7) में स्पंज आयरन (डीआरआई किल्न) क्षमता – 62,700 टन प्रतिवर्ष, इण्डक्शन फर्नेस (बिलेट्स / इंगॉट्स / हॉट बिलेट्स) क्षमता – 1,18,800 टन प्रतिवर्ष, रोलिंग मिल (टीएमटी, पात्रा, वायर रॉड, एंगल चैनल एण्ड अन्य स्ट्रक्चरल स्टील) क्षमता – 1,15,500 टन प्रतिवर्ष, गैसीफायर फॉर रि–हीटिंग फर्नेस क्षमता – 3,500 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा, डब्ल्यूएचआरबी बेस्ड पॉवर प्लांट क्षमता – 5 मेगावॉट, एफबीसी बेस्ड पॉवर प्लांट क्षमता – 5 मेगावॉट एवं ब्रिक मेनुफैक्चरिंग यूनिट क्षमता – 8,700 ब्रिक्स प्रतिदिन की स्थापना करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना की विनियोग रुपये 125 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 23 / 06 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 412वीं बैठक दिनांक 28 / 06 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28 / 06 / 2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा 7.297 हेक्टेयर भूमि का आबंटन किया गया था, जिस पर एल.ओ.आई. जारी की गई थी, जिसके अनुसार ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में सी.एस.आई.डी.सी. के पास भूमि उपलब्ध होने के कारण अतिरिक्त 12 हेक्टेयर आबंटित करने के इच्छुक है, जिससे कुल भूमि के क्षेत्रफल में परिवर्तन होगी। अतः भूमि संबंधी कार्य को पूर्ण करने में अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी। जिसके कारण बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया

जाना संभव नहीं है। अतः अगस्त माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स गोलाबेकुर ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– मोहम्मद अब्दुल्ला खान, टेम्पररी परमिट), ग्राम–गोलाबेकुर, तहसील व जिला–सुकमा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1964)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 261543 / 2022, दिनांक 13 / 03 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गोलाबेकुर, तहसील व जिला–सुकमा स्थित खसरा क्रमांक 1136, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–71,371 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 06 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 412वीं बैठक दिनांक 28 / 06 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशीष कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोलाबेकुर का दिनांक 13 / 05 / 2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 920 / खनिज / उत्ख.यो. / 2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 29 / 01 / 2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 431 / कले. / खनिज / 2022 सुकमा, दिनांक 07 / 03 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 434 / कले. / खनिज / 2022 सुकमा, दिनांक 07 / 03 / 2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार

उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, मरघट, बांध, स्कूल, अस्पताल, एनीकट एवं पुल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 364/कले./खनिज/2021 सुकमा, दिनांक 08/12/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सुकमा वनमण्डल, जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./3250 सुकमा, दिनांक 15/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र के संरक्षित वन सुकमा परिक्षेत्र के अंतर्गत उप परिक्षेत्र करेलापाल परिसर करेलापाल कक्ष क्रमांक पी.एफ. 273 से 7 कि.मी. एवं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 95 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा आवेदित लीज क्षेत्र में तेंदु 4 नग, आल 3 नग, पोलक 3 नग एवं अन्य अनुपयोगी झाड़िया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गोलाबेकुर 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–गोलाबेकुर 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.8 कि.मी. दूर है। मलेंगर नदी 830 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,41,680 टन, माईनेबल रिजर्व 1,41,987 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,34,887 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,780 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है, जिसमें से 6 मीटर पहाड़ी क्षेत्र है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	71,371
द्वितीय	70,616

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 695 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 34,750 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 92,000 रूपये, खाद के लिए राशि 6,950 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,57,700 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 96,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
16.92	2%	0.33	Following activities at Nearby Government Middle School, **Village-Pujaripara (Golabekur)**	
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.35
			Running Water Facility for Toilets & Kitchen	0.35
			Total	**0.70**

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. आवेदित लीज क्षेत्र में तेंदु 4 नग, आल 3 नग, पोलक 3 नग वृक्ष एवं अन्य अनुपयोगी झाड़िया है। समिति का मत है कि आवश्यकतानुसार उक्त वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही की जाएगी। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि वृक्षों को काटना आवश्यक न हो तो इन्हे न काटा जाये।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खदान से उत्खनित साधारण पत्थर (गौण खनिज) को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत् प्रस्तावित निर्माण कार्यों में उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान से उत्खनित साधारण पत्थर (गौण खनिज) को उक्त कार्यों में ही उपयोग किये जाने हेतु कार्य आदेश की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग प्लान में लैटेराईट मिट्टी/ओवरबर्डन की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,845 घनमीटर है, जिसमें से 4,170 घनमीटर लैटेराईट मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के

लिए उपयोग एवं शेष लैटेराईट मिट्टी का उपयोग शासकीय सड़क निर्माण कार्य में किया जाएगा। समिति का मत है कि उक्त लैटेराईट मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के पुनःभराव प्लान के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. लीज क्षेत्र में तेंदु 4 नग, आल 3 नग, पोलक 3 नग वृक्ष एवं अन्य अनुपयोगी झाड़िया है। आवश्यकतानुसार उक्त वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
2. प्रस्तावित खदान से उत्खनित साधारण पत्थर (गौण खनिज) को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत् प्रस्तावित निर्माण कार्यों में ही उपयोग किये जाने हेतु कार्य आदेश की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. लैटेराईट मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. खदान के पुनःभराव प्लान के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स गोलाबेकुर ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री शेख जाकिर हुसैन, टेम्पररी परमिट), ग्राम–गोलाबेकुर, तहसील व जिला–सुकमा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1965)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/261099/2022, दिनांक 13/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गोलाबेकुर, तहसील व जिला–सुकमा, स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1136, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,11,176 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 412वीं बैठक दिनांक 28/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशीष कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोलाबेकुर का दिनांक 13/05/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलौंग विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 921/खनिज/उत्ख.यो./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 29/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 433/कले./खनिज/2022 सुकमा, दिनांक 07/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 432/कले./खनिज/2022 सुकमा, दिनांक 07/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मस्जिद, मरघट, बांध, स्कूल, अस्पताल, एनीकट एवं पुल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 363/कले./खनिज/2021 सुकमा, दिनांक 08/12/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सुकमा वनमण्डल, जिला–सुकमा के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./3251 सुकमा, दिनांक 15/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र के संरक्षित वन सुकमा परिक्षेत्र के अंतर्गत उप परिक्षेत्र करेलापाल परिसर करेलापाल वक्ष क्रमांक पी.एफ. 273 से 7 कि.मी. एवं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 95 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा आवेदित लीज क्षेत्र में तेंदु 4 नग, आल 3 नग, पोलक 3 नग वृक्ष एवं अन्य अनुपयोगी झाड़िया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गोलाबेकुर 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–गोलाबेकुर 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय मार्ग 2.8 कि.मी. दूर है। मलेंगर नदी 830 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,31,250 टन, माईनेबल रिजर्व 1,93,662 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,83,978 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,780 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16 मीटर है, जिसमें से 10 मीटर पहाड़ी क्षेत्र है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। ओवरबर्डन की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,610 घनमीटर है, जिसका उपयोग शासकीय सड़क निर्माण कार्य में किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,11,176
द्वितीय	82,478

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तावित स्थल पत्थरिला क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गोलाबेकुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1194, क्षेत्रफल 0.5 हेक्टयेर) में वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार 695 पौधों के लिए राशि 34,750 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,32,000 रूपये, खाद के लिए राशि 6,950 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,97,700 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 96,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

16.96	2%	0.34	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village-Pujaripara (Golabekur)**	
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.35
			Running Water Facility for Toilets	0.35
			Total	**0.70**

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. आवेदित लीज क्षेत्र में तेंदु 4 नग, आल 3 नग, पोलक 3 नग वृक्ष एवं अन्य अनुपयोगी झाड़िया है। समिति का मत है कि आवश्यकतानुसार उक्त वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही की जाएगी। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तावित खदान से उत्खनित साधारण पत्थर (गौण खनिज) को मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत् सी.सी. रोड निर्माण नगरसा, जिला–सुकमा एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत् ग्रामीण सड़क के रख–रखाव में ही उपयोग किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ रूरल रोड डेव्हलपमेंट एजेंसी, सुकमा द्वारा क्रमशः दिनांक 08/07/2020 एवं 11/08/2020 को जारी कार्य आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के पुनःभराव प्लान के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित लीज क्षेत्र में तेंदु 4 नग, आल 3 नग, पोलक 3 नग वृक्ष एवं अन्य अनुपयोगी झाड़िया है। आवश्यकतानुसार उक्त वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के पुनःभराव प्लान के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स बुंदेली क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री ध्रुपद चौहान), ग्राम–बुंदेली, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1938)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/257436/2022, दिनांक 19/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी दिनांक 14/03/2022 को प्राप्त हुई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बुंदेली, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 467, कुल क्षेत्रफल–0.6 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–6,942 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 412वीं बैठक दिनांक 28/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/06/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स गुड़ेली लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती तुलसी बसंत), ग्राम–गुड़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1574)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 61356/ 2021, दिनांक 28/02/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 61356/ 2021, दिनांक 06/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गुड़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक–463/2, 463/3, 463/5 463/6, 470/1, 470/2 एवं 470/3, कुल क्षेत्रफल–2.836 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,70,038 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 412वीं बैठक दिनांक 28/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नितिन सिंघल, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स ऐसिरिज इन्वाहयरोटेक इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड की ओर से सुश्री अंजली घघाने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत गुड़ेली का दिनांक 10/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोन्मेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के पृ. के ज्ञापन क्रमांक 17ए/ख.लि.–2/2020 रायगढ़, दिनांक 04/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान–** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 532/ख.लि.–2/2022 रायगढ़, दिनांक 28/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 38 खदानें, क्षेत्रफल 43.328 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 26/ख.लि.–2/2020 रायगढ़, दिनांक 05/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। एल.ओ. आई. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4824/ख.लि.–1/2020 रायगढ़, दिनांक 09/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ. आई. की वैधता वृद्धि संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 6010/खनि 02/उ.प.अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017(1) नवा रायपुर, दिनांक 26/11/2021 द्वारा जारी की गई है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 07/11/2022 तक) हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./7948/2020 रायगढ़, दिनांक 15/10/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 11.04 कि.मी. एवं गोमर्डा अभ्यारण्य सारंगढ़ से 15.19 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गुड़ेली 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–गुड़ेली 1.25 कि.मी. एवं अस्पताल सारंगढ़ 15.6 कि.मी. की दूरी पर

स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 960 मीटर एवं राज्यमार्ग 12 कि.मी. दूर है। महानदी 2.9 कि.मी. एवं मौसमी नाला 610 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 20,87,956 टन, माईनेबल रिजर्व 9,89,975 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 9,40,476 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,562 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 10,525 घनमीटर है, जिसमें से 2,002 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण हेतु तथा शेष 8,523 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (ग्राम–गुड़ेली का खसरा क्रमांक 128/6, क्षेत्रफल 0.404 हेक्टेयर एवं ग्राम–लालाधुरवा का खसरा क्रमांक 138/2, 165/1, 174, 184, 186/1, क्षेत्रफल 0.591 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखा जायेगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,748 वर्गमीटर होगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,65,027	षष्टम	1,00,071
द्वितीय	1,70,038	सप्तम	3,705
तृतीय	1,60,027	अष्टम	3,776
चतुर्थ	1,65,001	नवम	3,919
पंचम	1,65,065	दशम	3,847

नोट:– दशमलव के बाद के अंकों को राउण्ड ऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.16 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,110 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000

सड़कों / पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की लम्बाई 1 कि.मी.						
खदान के बाउण्ड्री में (1,110 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	61,100	5,600	5,600	5,600	5,600
	फेंसिंग हेतु राशि	77,800	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	1,11,000	1,11,000	1,11,000	1,11,000	1,11,000
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	1,99,500	1,99,500	1,99,500	1,99,500	1,99,500
रैम्प एवं हॉल रोड के रख–रखाव हेतु		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
खदान के श्रमिकों हेतु फेसिलिटी		3,02,500	2,12,500	2,12,500	2,12,500	2,12,500
कुल राशि = 40,66,300		**9,91,900**	**7,86,600**	**7,86,600**	**7,86,600**	**7,86,600**

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5.562 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 575 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। वर्तमान में उत्खनित क्षेत्र का पुनःभराव कर लिया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 3 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेषीय वायु गुणवत्ता मापन, 5 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	25	40	60
PM_{10}	39	69	100
SO_2	6	18	80
NO_2	11	28	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	41.8	56.4	75
Night L_{eq}	36.8	48.3	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदानों एवं खदान में प्रस्तावित क्रशरों का ध्वनि मॉडिलिंग (Noise modeling) गणना प्रस्तुत की गई है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये 3 खदानों हेतु ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 5,074 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.338 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 82 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 5,156 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.344 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 30/10/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान – सेवा सहकारी समिति का मैदान, ग्राम–गुडेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 17/12/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 39 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 3 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 3 खदानों द्वारा सामूहिक रुप से जनसुनवाई कराया गया है। **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. ब्लास्टिंग से आस–पास के क्षेत्रों एवं पर्यावरण पर प्रभाव पडता है। हैवी ब्लास्टिंग से घरों मे दरारें आ जाती है।

ii. उत्खनन कार्य से उत्पन्न धूल से वायु प्रदूषित हो रहा है, जिससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण हेतु उपाय किया जाना चाहिए एवं ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

iii. खदान के खुलने से जल का स्तर कम हो जाता है।

iv. संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही काम के दौरान मजदूरों के लिये समय–समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जायेगा।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डी.जी.एम.एस. के नियमानुसार वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाएगी। ब्लास्टिंग का स्तर अति सामान्य रहेगा। ।

ii. वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण एवं जल छिडकाव किया जाएगा। खदान में कार्यरत् श्रमिकों और ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य परिक्षण शिविर लगाया जाएगा एवं पी.पी.ई. मास्क उपलब्ध कराया जाएगा

iii. उत्खनन का कार्य भूमिगत जल स्तर तक नहीं किया जाएगा अतः भूमिगत जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 39 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सडकों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल	10,80,000	10,80,000	10,80,000	10,80,000	10,80,000

छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 12 कि.मी.						
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (8,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	2,80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
	फेंसिंग हेतु राशि	40,00,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	8,00,000	8,00,000	8,00,000	8,00,000	8,00,000
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	11,80,000	11,80,000	11,80,000	11,80,000	11,80,000
इन्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु (Half yearly)		1,14,000	1,14,000	1,14,000	1,14,000	1,14,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु		8,00,000	8,00,000	8,00,000	8,00,000	8,00,000
हेल्थ चेकअप केम्प फॉर विलेर्जस		2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000
कुल राशि = 2,54,70,000		**84,54,000**	**42,54,000**	**42,54,000**	**42,54,000**	**42,54,000**

कॉमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 737 मीटर	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000
पहुँच मार्ग की 737 मीटर लम्बाई के दोनों तरफ 490 नग वृक्षारोपण हेतु	3,85,000	1,27,000	1,27,000	1,27,000	1,27,000
इन्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु (Half yearly)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के 737 मीटर लम्बाई के संधारण हेतु	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
हेल्थ चेकअप केम्प फॉर विलेर्जस	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
कुल राशि = 15,83,000	**5,23,000**	**2,65,000**	**2,65,000**	**2,65,000**	**2,65,000**

उक्त कार्य को आक्षांश एवं देशांतर सहित ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया गया है।

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
100.55	2%	2.02	Following activities at Nearby Gram Panchayat, Village- Gudeli	
			Plantation around village Pond	3.84
			Total	**3.84**

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु (आम एवं जामुन के 4–5 फीट के पौधे) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 80 नग पौधों (वर्तमान में 10 नग पौधे है) के लिए राशि 14,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 35,000 रूपये, खाद के लिए राशि 7,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 60,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,16,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,68,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गुड़ेली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 224 में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

22. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने तथा ब्लास्टिंग का कार्य जी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही शपथ पत्र में इस आशय का भी उल्लेख है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाएगा।

23. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

24. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की

सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

25. अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर बताई गई है, जिसके संबंध में कार्यालय, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड–सारंगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र में पानी की उपलब्धता 50 मीटर से अधिक है।

26. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 532/ख.लि.–2/2022 रायगढ़, दिनांक 28/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 38 खदानें, क्षेत्रफल 43.328 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–गुढ़ेली) का क्षेत्रफल 2.836 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–गुढ़ेली) को मिलाकर क्षेत्रफल 46.164 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स गुढ़ेली लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती तुलसी बसंत) की ग्राम–गुढ़ेली, तहसील–सारंगढ़,

जिला–रायगढ़ के खसरा क्रमांक–463/2, 463/3, 463/5, 463/6, 470/1, 470/2 एवं 470/3 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.836 हेक्टेयर, क्षमता–1,70,038 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स गुड़ेली लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री नितिन सिंघल), ग्राम–गुड़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1575)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 61361/ 2021, दिनांक 28/02/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 61361/ 2021, दिनांक 06/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गुड़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक – 481/4, 481/5 क, 481/5 ख, 481/6, 481/7, 482/1, 482/2, 482/3 ख, 482/4, 482/5, 482/6, 482/7, 487/2, 488/1, 488/2 ख, 488/3, 489/2, 481/1, 481/2, 481/3 क, 481/5 ग एवं 488/2 क, कुल क्षेत्रफल – 3.113 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,75,061.25 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 412वीं बैठक दिनांक 28/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नितिन सिंघल, प्रोपराईटर एवं सलाहकार के रूप में मेसर्स ऐसिरिज इन्वाहयरोटेक इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड की ओर से सुश्री अंजली बघाने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत गुड़ेली का दिनांक 16/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 18ए/ख.लि.–2/2020 रायगढ़, दिनांक 04/01/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 531/ख.लि.–2/2022 रायगढ़, दिनांक 28/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 38 खदानें, क्षेत्रफल 43.051 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 27/ख.लि.–2/2020 रायगढ़, दिनांक 05/01/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4823/ख.लि.–1/2020 रायगढ़ दिनांक 09/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 6008/खनि 02/उ.प.अनु. निष्पा./न.क्र. 50/2017(1) नवा रायपुर, दिनांक 26/11/2021 द्वारा जारी की गई है, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 481/1, 481/2, 481/3 क, 481/5 ग एवं 488/2 क श्री राजेश के नाम पर है, शेष भूमि आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./7950/2020 रायगढ़, दिनांक 15/10/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र गोमर्डा अभ्यारण्य सारंगढ़ से 13.9 कि.मी. एवं गोमर्डा अभ्यारण्य बरमकेला से 11 कि.मी. दूर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गुडेली 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–गुडेली 1.25 कि.मी. एवं अस्पताल सारंगढ़ 15.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 960 मीटर एवं राज्यमार्ग 12 कि.मी. दूर है। महानदी 2.9 कि.मी. एवं मौसमी नाला 610 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 22,95,837 टन, माईनेबल रिजर्व 10,05,698 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 9,55,413 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,979 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,510.5 घनमीटर है, जिसमें से 2,566 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण हेतु उपयोग तथा शेष 8,944.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को स्वयं की भूमि (ग्राम–गुड़ेली का खसरा क्रमांक 128/6 क, 128/6 ख, क्षेत्रफल 0.769 हेक्टेयर एवं ग्राम–लालाधुरवा का खसरा क्रमांक 138/2, 165/1, 174, 184, 186/1, क्षेत्रफल 0.591 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखा जायेगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,130 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,70,032	षष्टम	15,105
द्वितीय	1,72,995	सप्तम	18,026
तृतीय	1,75,026	अष्टम	16,494
चतुर्थ	1,74,099	नवम	19,024
पंचम	1,75,061	दशम	19,487

नोट:– दशमलव के बाद के अंको को राउण्ड ऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.92 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,395 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की लम्बाई 1 कि.मी.	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000

खदान के बाउण्ड्री में (1,395 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	76,725	7,000	7,000	7,000	7,000
	फेंसिंग हेतु राशि	98,375	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	1,39,500	1,39,500	1,39,500	1,39,500	1,39,500
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	1,99,500	1,99,500	1,99,500	1,99,500	1,99,500
रेम्प एवं हॉल रोड के रख–रखाव हेतु		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
खदान के श्रमिकों हेतु फेसिलिटी		3,09,500	2,19,500	2,19,500	2,19,500	2,19,500
कुल राशि = 42,85,600		**10,63,000**	**8,05,500**	**8,05,500**	**8,05,500**	**8,05,500**

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 3 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेषीय वायु गुणवत्ता मापन, 5 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	25	40	60
PM_{10}	39	69	100
SO_2	6	18	80
NO_2	11	28	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	41.8	56.4	75

Night L_{eq}	36.8	48.3	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदानों एवं खदान में प्रस्तावित क्रशरों का ध्वनि मॉडिलिंग (Noise modeling) गणना प्रस्तुत की गई है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये 3 खदानों हेतु ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 5,074 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.338 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 82 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 5,156 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.344 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 30/10/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान – सेवा सहकारी समिति का मैदान, ग्राम–गुढेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 17/12/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 39 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 3 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 3 खदानों द्वारा सामूहिक रुप से जनसुनवाई कराया गया है। **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. ब्लास्टिंग से आस–पास के क्षेत्रों एवं पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। हैवी ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ जाती है।

ii. उत्खनन कार्य से उत्पन्न धूल से वायु प्रदूषित हो रहा है, जिससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण हेतु उपाय किया जाना चाहिए एवं ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

iii. खदान के खुलने से जल का स्तर कम हो जाता है।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही काम के दौरान मजदुरों के लिये समय–समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जायेगा।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डी.जी.एम.एस. के नियमानुसार वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाएगी। ब्लास्टिंग का स्तर अति सामान्य रहेगा।

ii. वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण एवं जल छिड़काव किया जाएगा। खदान में कार्यरत् श्रमिकों और ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य परिक्षण शिविर लगाया जाएगा एवं पी.पी.ई. मास्क उपलब्ध कराया जाएगा

iii. उत्खनन का कार्य भूमिगत जल स्तर तक नहीं किया जाएगा अतः भूमिगत जल पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 39 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों / पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 12 कि.मी.		10,80,000	10,80,000	10,80,000	10,80,000	10,80,000
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (8,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	2,80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
	फेंसिंग हेतु राशि	40,00,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	8,00,000	8,00,000	8,00,000	8,00,000	8,00,000
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	11,80,000	11,80,000	11,80,000	11,80,000	11,80,000
इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु (Half yearly)		1,14,000	1,14,000	1,14,000	1,14,000	1,14,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु		8,00,000	8,00,000	8,00,000	8,00,000	8,00,000
हेल्थ चेकअप केम्प फॉर विलेजर्स		2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000
कुल राशि = 2,54,70,000		**84,54,000**	**42,54,000**	**42,54,000**	**42,54,000**	**42,54,000**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)

प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सडकों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 809 मीटर	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000
पहुँच मार्ग की 809 मीटर लम्बाई के दोनों तरफ 540 नग वृक्षारोपण हेतु	4,23,000	1,39,000	1,39,000	1,39,000	1,39,000
इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु (Half yearly)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के 809 मीटर लम्बाई के संधारण हेतु	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
हेल्थ चेकअप कैम्प फॉर विलेजर्स	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
कुल राशि = 17,24,000	**5,72,000**	**2,88,000**	**2,88,000**	**2,88,000**	**2,88,000**

उक्त कार्य को आक्षांश एवं देशांतर सहित ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया गया है।

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
105.66	2%	2.11	Following activities at Nearby Gram Panchayat, Village-Jewra	
			Plantation around village Pond	3.54
			Total	**3.54**

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण के तहत् (आम एवं जामुन के 4–5 फीट के पौधे) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों (वर्तमान में 5 नग पौधे है) के लिए राशि 9,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 22,500 रूपये, खाद के लिए राशि 4,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 60,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 96,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,58,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत जेवरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 483 में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

22. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने तथा ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही शपथ पत्र में इस आशय का भी उल्लेख है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाएगा।

23. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

24. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

25. अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर बताई गई है, जिसके संबंध में कार्यालय, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड–सारंगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र में पानी की उपलब्धता 50 मीटर से अधिक है।

26. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि टी.ओ.आर. के समय ऑनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत फार्म–1, फार्म–1एम, प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट, क्वारी प्लान, पर्यावरण प्रबंध योजना में चूना पत्थर उत्खनन क्षमता–1,75,061 टन प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया था। किन्तु राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 581/एस.ई.ए.सी.,छ.ग./माईन/रायगढ़/1575 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25/06/2021 द्वारा चूना पत्थर उत्खनन क्षमता–1,55,061.25 टन प्रतिवर्ष हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है। पूर्व में जारी टी.ओ.आर. अनुसार ही विचार किया जाएगा।

27. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 531/ख.लि.–2/2022 रायगढ़, दिनांक 28/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 38 खदानें, क्षेत्रफल 43.051 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–गुड़ेली) का क्षेत्रफल 3.113 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–गुड़ेली) को मिलाकर क्षेत्रफल 46.164 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स गुड़ेली लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री नितिन सिंघल) की ग्राम–गुड़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ के खसरा क्रमांक – 481/4, 481/5 क, 481/5 ख, 481/6, 481/7, 482/1, 482/2, 482/3 ख, 482/4, 482/5, 482/6, 482/7, 487/2, 488/1, 488/2 ख, 488/3, 489/2, 481/1, 481/2, 481/3 क, 481/5 ग एवं 488/2 क में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–3.113 हेक्टेयर, क्षमता–1,55,061 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स जगदम्बा स्पंज प्राइवेट लिमिटेड (डॉयरेक्टर– श्री शिव अग्रवाल), ग्राम–गुड़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1670)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 63523/ 2021, दिनांक 27/05/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 72885/ 2021, दिनांक 06/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गुड़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक–479, 469/2घ, 471, 475/3, 473/1, 469/2ख, 472/1, 472/2, 468/1, 475/2, 476/2/क/2, 476/6, 476/5, 476/2/ग, 476/2/ख, 478, 480, 476/1, 476/4, 476/2/क/1 एवं 469/2 ग, कुल क्षेत्रफल – 2.926 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,10,829.38 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 412वीं बैठक दिनांक 28/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिव अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स ऐसिरिज इन्वाहयरोटेक इण्डिया प्रायवेट लिमिटेड की ओर से सुश्री अंजली चव्हाने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गुढ़ेली का दिनांक 30/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान, इन्वायरोन्मेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायगढ़ के के ज्ञापन क्रमांक 909/ख.लि.–2/2021 रायगढ़, दिनांक 21/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 533/ख.लि.–2/2022 रायगढ़, दिनांक 28/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 38 खदानें, क्षेत्रफल 43.238 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 915/ख.लि. –1/2021 रायगढ़, दिनांक 22/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण –** एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 854/ख.लि.–1/2021 रायगढ़ दिनांक 01/05/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2078/खनि 02/उ.प.अनु. निष्पा./न.क्र. 50/2017(3) नवा रायपुर, दिनांक 25/04/2022 द्वारा जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 29/04/2023 तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 479 श्री संपतलाल, खसरा क्रमांक 469/2/घ श्री धरमु, खसरा क्रमांक 471 श्री रामाधीन, खसरा क्रमांक 475/3 श्री नितिन, खसरा क्रमांक 473/1 श्री टिकेन्द्र, खसरा क्रमांक 469/2/ख, 472/2, 472/1, 469/1 श्री घुराउ, खसरा क्रमांक 475/2 श्री पहर सिंह, खसरा क्रमांक 476/2/क/2 श्री मोतीराम, खसरा क्रमांक 476/6 श्री जगन्नाथिया, खसरा क्रमांक 476/5 श्री बालमुकुन्द, खसरा क्रमांक 476/2/ग श्री मोहनसाय, खसरा क्रमांक 476/2/ख भगवती, खसरा क्रमांक 478, 480 श्री चैतराम, खसरा क्रमांक 476/1 श्रीमती हराबाई, खसरा क्रमांक 476/4 श्री नरेशचंद, खसरा क्रमांक 476/2/क/1 श्री केशव, खसरा क्रमांक 469/2ग श्री कमलधर के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./733/2021 रायगढ़, दिनांक 08/02/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 960 मीटर एवं गोमर्डा अभ्यारण्य से 11.21 कि.मी. दूर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गुड़ेली 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–गुड़ेली 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल धन्दरपुर 5.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.95 कि.मी. दूर है। महानदी 2.9 कि.मी. एवं बरसाती नाला 450 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 21,57,925 टन, माईनेबल रिजर्व 6,34,187 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 6,02,478 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,310 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 10,475 घनमीटर है, जिसमें से 2,991 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में तथा शेष 7,484 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (ग्राम–गुड़ेली का खसरा क्रमांक 128/6, क्षेत्रफल 0.404 हेक्टेयर एवं ग्राम–लालाधुरवा का खसरा क्रमांक 138/2, 165/1, 174, 184, 186/1, क्षेत्रफल 0.591 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखा जायेगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,10,437	षष्टम	10,687

द्वितीय	1,10,141	सप्तम	10,224
तृतीय	1,10,616	अष्टम	9,975
चतुर्थ	1,10,829	नवम	10,046
पंचम	1,10,509	दशम	9,031

नोटः– दशमलव के बाद के अंको को राउण्ड ऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.14 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर एवं बोरवैल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,662 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित हैः–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सडकों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की लम्बाई 1 कि.मी.		1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000
खदान के बाउण्ड्री में (1,662 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	91,410	8,400	8,400	8,400	8,400
	फेंसिंग हेतु राशि	1,17,900	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	1,66,200	1,66,200	1,66,200	1,66,200	1,66,200
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	1,99,500	1,99,500	1,99,500	1,99,500	1,99,500
रेम्प एवं हॉल रोड के रख–रखाव हेतु		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
खदान के श्रमिकों हेतु फेसिलिटी		2,46,500	1,56,500	1,56,500	1,56,500	1,56,500
कुल राशि = 41,44,000		**10,61,600**	**7,70,600**	**7,70,600**	**7,70,600**	**7,70,600**

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर में उत्खनन कार्य नही किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 3 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेषीय वायु गुणवत्ता मापन, 5 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल**:–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	25	40	60
PM_{10}	39	69	100
SO_2	6	18	80
NO_2	11	28	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता**:– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर**:–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	41.8	56.4	75
Night L_{eq}	36.8	48.3	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदानों एवं खदान में प्रस्तावित क्रशरों का ध्वनि मॉडिलिंग (Noise modeling) गणना प्रस्तुत की गई है।

v. **पी.सी.यू. की गणना**:– भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये 3 खदानों हेतु ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 5,074 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.338 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 82 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 5,156 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.344 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 30/10/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान – सेवा सहकारी समिति का मैदान, ग्राम–गुडेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा

रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 17/12/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 39 खदानें आती है, जिसमें से वर्तमान में 3 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 3 खदानों द्वारा सामूहिक रुप से जनसुनवाई कराया गया है। **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. ब्लास्टिंग से आस–पास के क्षेत्रों एवं पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। हैवी ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ जाती है।

ii. उत्खनन कार्य से उत्पन्न धूल से वायु प्रदूषित हो रहा है, जिससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण हेतु उपाय किया जाना चाहिए एवं ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

iii. खदान के खुलने से जल का स्तर कम हो जाता है।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही काम के दौरान मजदुरों के लिये समय–समय पर स्वास्थ्य शिविल लगाया जायेगा।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. डी.जी.एम.एस. के नियमानुसार वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाएगी। ब्लास्टिंग का स्तर अति सामान्य रहेगा।

ii. वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वृक्षारोपण एवं जल छिड़काव किया जाएगा। खदान में कार्यरत् श्रमिकों और ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य परिक्षण शिविर लगाया जाएगा एवं पी.पी.ई. मास्क उपलब्ध कराया जाएगा

iii. उत्खनन का कार्य भूमिगत जल स्तर तक नहीं किया जाएगा अतः भूमिगत जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 39 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से	10,80,000	10,80,000	10,80,000	10,80,000	10,80,000

उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 12 कि.मी.						
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (8,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	2,80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
	फेंसिंग हेतु राशि	40,00,000	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	8,00,000	8,00,000	8,00,000	8,00,000	8,00,000
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	11,80,000	11,80,000	11,80,000	11,80,000	11,80,000
इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु (Half yearly)		1,14,000	1,14,000	1,14,000	1,14,000	1,14,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु		8,00,000	8,00,000	8,00,000	8,00,000	8,00,000
हेल्थ चेकअप कैम्प फॉर विलेजर्स		2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000
कुल राशि = 2,54,70,000		**84,54,000**	**42,54,000**	**42,54,000**	**42,54,000**	**42,54,000**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण	प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों / पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 760 मीटर	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000
पहुँच मार्ग की 760 मीटर लम्बाई के दोनों तरफ 506 नग वृक्षारोपण हेतु	3,97,000	1,31,000	1,31,000	1,31,000	1,31,000
इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु (Half yearly)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के 760 मीटर लम्बाई के संधारण हेतु	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
हेल्थ चेकअप कैम्प फॉर विलेजर्स	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
कुल राशि = 16,26,000	**5,38,000**	**2,72,000**	**2,72,000**	**2,72,000**	**2,72,000**

उक्त कार्य को आक्षांश एवं देशांतर सहित ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया गया है।

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
81.53	2%	1.65	Following activities at Nearby Gram Panchayat, Village-Sarsara	
			Plantation around village Pond	3.60
			Total	**3.60**

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण के तहत् (आम एवं जामुन के चार से पांच फीट के पौधे) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 60 नग पौधों (वर्तमान में 10 नग पौधे है) के लिए राशि 10,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 25,000 रूपये, खाद के लिए राशि 5,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 60,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,00,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,60,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का वियरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गुडेली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (ग्राम–सरसरा के खसरा क्रमांक 78 में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

22. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने तथा ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही शपथ पत्र में इस आशय का भी उल्लेख है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर उक्त संरक्षित मिट्टी का निरीक्षण भी कराया जाएगा।

23. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

24. समिति का मत है कि सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की

सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

25. अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर बताई गई है, जिसके संबंध में कार्यालय, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड–सारंगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र में पानी की उपलब्धता 50 मीटर से अधिक है।

26. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 533/ख.लि.–2/2022 रायगढ़, दिनांक 28/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 38 खदानें, क्षेत्रफल 43.238 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–गुड़ेली) का क्षेत्रफल 2.926 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–गुड़ेली) को मिलाकर क्षेत्रफल 46.164 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स जगदम्बा स्पंज प्राइवेट लिमिटेड (डॉयरेक्टर– श्री शिव अग्रवाल) की ग्राम–गुड़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ के खसरा क्रमांक–479, 469/2घ, 471, 475/3, 473/1, 469/2ख, 472/1, 472/2, 468/1, 475/2, 476/2/क/2, 476/6, 476/5, 476/2/ग, 476/2/ख, 478, 480, 476/1, 476/4, 476/2/क/1 एवं 469/2 ग में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.926 हेक्टेयर, क्षमता–1,10,829 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 406वीं एवं 407वीं बैठक क्रमशः दिनांक 09/05/2022 एवं 10/05/2022 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 23/06/2022 द्वारा किया गया।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स गुड़ेली लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती तुलसी बसंत) को खसरा क्रमांक 463/2, 463/3, 463/5, 463/6, 470/1, 470/2 एवं 470/3, कुल लीज क्षेत्र 2.836 हेक्टेयर, ग्राम–गुड़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 1,70,038 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.836 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 1,70,038 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।

3. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।

4. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हों) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

9. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

12. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

13. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

14. उत्खनन करने के पूर्व आवेदक, क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 10,525 घनमीटर है, जिसमें से 2,002 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष 8,523 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (ग्राम–गुड़ेली का खसरा क्रमांक 128/6, क्षेत्रफल 0.404 हेक्टेयर एवं ग्राम–लालाधुरवा का खसरा क्रमांक 138/2, 165/1, 174, 184, 186/1, क्षेत्रफल 0.591 हेक्टेयर) में भंडारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

15. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

16. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

17. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए,

ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

19. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
100.55	2%	2.02	Following activities at Nearby Gram Panchayat, Village- Gudeli	
			Plantation around village Pond	3.84
			Total	**3.84**

21. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही प्रारंभिक 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा।

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु (आम एवं जामुन के 4–5 फीट के पौधे) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 80 नग पौधों (वर्तमान में 10 नग पौधे है) के लिए राशि 14,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 35,000 रूपये, खाद के लिए राशि 7,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 60,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,16,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,68,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गुड़ेली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 224 में स्थित तालाब) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

23. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सडकों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सडकों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

25. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,110 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

26. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 500 पौधों का रोपण (कुल 1,610 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

28. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

30. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित/ प्रस्तावित क्रशर पर वेब कैमरा (एक माह का स्टोरेज फेसीलिटी सहित) लगाया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई मे दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

33. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

34. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रमाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

37. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

38. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

39. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

42. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट **www.seiaacg.org** पर भी किया जा सकता है।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

46. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

47. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

48. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स गुड़ेली लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री नितिन सिंघल) को खसरा क्रमांक 481/4, 481/5 क, 481/5 ख, 481/6, 481/7, 482/1, 482/2, 482/3 ख, 482/4, 482/5, 482/6, 482/7, 487/2, 488/1, 488/2 ख, 488/3, 489/2, 481/1, 481/2, 481/3 क, 481/5 ग एवं 488/2 क, कुल लीज क्षेत्र 3.113 हेक्टेयर, ग्राम–गुड़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 1,55,061 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 3.113 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 1,55,061 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।

2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।

3. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।

4. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना

प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

9. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

12. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

13. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

14. उत्खनन करने के पूर्व आवेदक, क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 11,510.5 घनमीटर है, जिसमें से 2,566 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष 8,944.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को स्वयं की भूमि (ग्राम–गुडेली का खसरा क्रमांक 128/6 क, 128/6 ख, क्षेत्रफल 0.789 हेक्टेयर एवं ग्राम–लालाधुरवा का खसरा क्रमांक 138/2, 165/1, 174, 184, 186/1, क्षेत्रफल 0.591 हेक्टेयर) में भंडारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

15. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

16. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

17. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

19. खनिज का परिवहन कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
105.66	2%	2.11	Following activities at Nearby Gram Panchayat, Village-Jewra	
			Plantation around village Pond	3.54
			Total	**3.54**

21. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही प्रारंभिक 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा।

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण के तहत् (आम एवं जामुन के 4-5 फीट के पौधे) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों (वर्तमान में 5 नग पौधे है) के लिए राशि 9,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 22,500 रूपये, खाद के लिए राशि 4,500 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 60,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 96,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,58,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत जेवरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 483 में स्थित तालाब) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

23. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की

सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

25. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,395 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

26. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 700 पौधों का रोपण (कुल 2,095 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

28. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

30. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित/ प्रस्तावित क्रशर पर वेब कैमरा (एक माह का स्टोरेज फेसीलिटी सहित) लगाया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र मे प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई मे दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्फ्रायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

33. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग

अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

34. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

37. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

38. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

39. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

42. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट **www.seiaacg.org** पर भी किया जा सकता है।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं

आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

46. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

47. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

48. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

मेसर्स जगदम्बा स्पंज प्राइवेट लिमिटेड (डॉयरेक्टर– श्री शिव अग्रवाल) को खसरा क्रमांक 479, 469/2घ, 471, 475/3, 473/1, 469/2ख, 472/1, 472/2, 468/1, 475/2, 476/2/क/2, 476/6, 476/5, 476/2/ग, 476/2/ख, 478, 480, 476/1, 476/4, 476/2/क/1 एवं 469/2 ग, कुल लीज क्षेत्र 2.926 हेक्टेयर, ग्राम–गुड़ेली, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 1,10,829 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.926 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 1,10,829 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
4. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना

प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

9. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

12. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

13. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

14. उत्खनन करने के पूर्व आवेदक, क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 10,475 घनमीटर है, जिसमें से 2,991 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा 7,484 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (ग्राम–गुड़ेली का खसरा क्रमांक 128/6, क्षेत्रफल 0.404 हेक्टेयर एवं ग्राम–लालाधुरवा का खसरा क्रमांक 138/2, 165/1, 174, 184, 186/1, क्षेत्रफल 0.591 हेक्टेयर) में भंडारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

15. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।

16. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

17. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

19. खनिज का परिवहन कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

20. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
81.53	2%	1.65	Following activities at Nearby Gram Panchayat, Village-Sarsara	
			Plantation around village Pond	3.60
			Total	**3.60**

21. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही प्रारंभिक 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा।

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण के तहत् (आम एवं जामुन के चार से पांच फीट के पौधे) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 60 नग पौधों (वर्तमान में 10 नग पौधे है) के लिए राशि 10,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 25,000 रूपये, खाद के लिए राशि 5,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 60,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,00,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,60,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गुड़ेली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (ग्राम–सरसरा के खसरा क्रमांक 78 में स्थित तालाब) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

23. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर / प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी / प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी / प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल

मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

24. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

25. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,662 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

26. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 600 पौधों का रोपण (कुल 2,262 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

27. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

28. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

29. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई मे दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

32. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

33. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

36. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

37. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

38. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.